

**Joint Inspection Report of the Committee**

Submitted in Reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench,

order dated 06-09-2022 in the Matter of

Original Application No. 554/2022 (By V.C)

Rakesh Kumar

Versus

State of Rajasthan

Member of the Joint Committee

1. Shri Mool Chand Looniya, SDM Sujangarh, District- Churu (Raj.)
2. Smt Savita, Regional Officer, RSPCB, Nagaur (Nodal Officer)

### **Joint Inspection Report of the Committee**

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench, Delhi order dated 06/09/2022, in the matter of original application No. 554/2022, Rakesh Kumar Versus State of Rajasthan, the committee of following 02 members visited the site along with Commissioner, Nagar Parishad, Sujangarh, Tehsil- Sujangarh, District- Churu on 21/10/2022 to verify the factual position of the matter:

As per the order of Hon'ble NGT (Principal Bench), the committee verified the factual status on these following issues: -

1. Manufacturing of Tirpals in Sujangarh
2. Usage of banned chemicals in manufacturing of Tirpals
3. Burning of Tirpal scrap in unscientific manner.
4. Illegal commercial construction.

#### **Factual Status: -**

- During area visit, the committee has made inspection of more than 30 Tirpal Godowns and shops running in the municipal area of Sujangarh, to check the factual position for manufacturing Tirpal, its raw material and the waste disposal methods for scrap etc. **[Annexure-1]**.
- Only small scale Tirpal stitching units along with its retail shops and store facility was there during visit. No industrial unit located in Sujangarh was found involved in manufacturing of Tirpals. It was observed that there is import of Tirpals (Tarpaulins) from outside of state for various outsourced materials like HDPE, Nylon, PVC etc., no usage of banned chemicals or any other hazardous chemicals was found.
- Tirpal Godowns were found involved in wholesale/retail business of stitched Tirpals after tailoring, sizing and making the Tirpal useful for selling in the market. The final products may range from vehicle covers, tents to waterproof sheets, and pond geomembrane liners. Since tailoring work comes under white category as per categorisation of industries issued by RSPCB H.O. dated 31/05/2016, these units require no consent from SPCB. **[Annexure-2]**.
- As per records/bills provided by Sujangarh Tirpal Association, maximum of Tirpal scrap is being sold to recyclers located in Delhi due to its value, rest of scrap is used to make ropes. However, during area visit we observed that some quantity Tirpal scrap was dumped in

government land and agricultural land in unscientific manner. At 03 locations, it was also observed that Tirpal scrap, however not in large quantity, was found burnt in open **[Annexure- 3]**.

- As per the report of Executive Officer, Nagar Palika Sujangarh dated 07.11.2022, no Tirpal Godown has been constructed on converted land and Show cause notice have been issued to the same in this matter **[Annexure- 4]**.

**Remedial Action:-**

1. Issue of open burning of Tirpal scrap has been identified as source of environmental pollution/degradation. Members of Sujangarh Tirpal Association and others involved in Tirpal scrap generation were invited in SDM Sujangarh Office and a meeting was held on dated 10.11.2022 in presence of RO Nagaur RSPCB, Commissioner Nagar Parishad, Sujangarh and Tehsildar Sujangarh (**Meeting minutes attached at Annexure—5**). In the meeting, units/members of Sujangarh Tirpal Association were made aware and sensitized of the harmful impact led by the open burning of Tirpal scrap.
2. In guidance of RSPCB, Ambuja Cement Mundwa and Sujangarh Tirpal Association agreed for co-processing of old Tirpal scrap in cement factory which was scattered in area. In this reference, collected scrap from Sujangarh has been sent to Ambuja Cement Mundwa. In future Sujangarh Tirpal Association will use rented land (**Rent agreement attached at Annexure-6**) and will develop a dumping yard for storage of Tirpal scrap. Agreement between Members of Sujangarh Tirpal Association and authorized recycler is also going under process.

The association also assured to run this yard in a scientific manner where an authorized person will be appointed for storage, maintenance of records and proper disposal of Tirpal scrap to registered recycler etc.


**Conclusions:-**

3. There are Tirpal Godowns and small shops involved in Tirpal related works.
4. No manufacturing of Tirpal is taking place in Sujangarh.
5. No usage of banned chemicals was found in Tirpal related processing.
6. Units are only involved in tailoring related processing of raw Tirpal sheets.

7. Tirpal scrap by most of the Tirpal godowns are been sent to recyclers.  
However, evidence related to open burning of small quantity of Tirpal scrap were found.
8. Tirpal godowns are not located on converted land area.



**Mool Chand Looniya,**  
**SDM, Sujangarh**  
**Nominee of District**  
**Collector, Churu**



**Savita,**  
**Regional Officer, RSPCB RO Nagaur**  
**(Nodal Officer)**

Photographs of the Joint Inspection dated 21-10-2022



## Photographs of the Joint Inspection dated 21-10-2022



## Photographs of the Joint Inspection dated 21-10-2022



## Photographs of the Joint Inspection dated 21-10-2022



**Photographs of the Joint Inspection dated 21-10-2022**





राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल  
**RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD**  
 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर - 302004  
 फोन: 5101871, 5101872, ईपीबीएक्स: 5159600, 5159699, फैक्स: 5159694 & 97

### **OFFICE ORDER**

The Rajasthan Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 and Rajasthan Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983 have been amended, vide Notification dated 26.05.2016. In the said rules "white category" has been inserted.

The following industries mentioned herein in the white category are not required to obtain consent to establish and consent to operate under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981:-

S. No.	Type of Unit
1.	Assembly of air coolers/ conditioners, repairing and servicing
2.	Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
4.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5.	Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6.	Blending and packing of tea
7.	Block making for printing without foundry (excluding wooden block making)
8.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying/ electrical oven)
9.	Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10.	Cotton and woolen hosiers making (Dry process only without any dyeing/ washing operation)
11.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
12.	Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
14.	Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
15.	Flavoured betel nuts production/ grinding of Spices (completely dry mechanical operations)
16.	Fly ash bricks/ block manufacturing
17.	Fountain pen manufacturing by assembling only
18.	Glass ampules and vials making from glass tubes
19.	Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20.	Ground nut decorticating
21.	Handloom/ carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
22.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23.	Manufacturing of coir items from coconut husks
24.	Manufacturing of metal caps containers etc
25.	Manufacturing of shoe brush and wire brush
26.	Medical oxygen
27.	Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28.	Organic manure (manual mixing)
29.	Packing of powdered milk
30.	Paper pins and u clips
31.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32.	Rope (plastic and cotton)

33.	Scientific and mathematical instrument manufacturing
34.	Solar module non conventional energy apparatus manufacturing unit
35.	Solar power generation through solar photovoltaic cell and wind power
36.	Mini hydel power (less than 25 MW)
37.	Surgical and medical products assembling only (not involving effluent/ emission generating processes)
38.	Flour Mill (Atta Chaki) without washing
39.	Furniture making units (without mechanized paint booth, anodizing, pickling, galvanizing, furnace and boiler)
40.	Wax Candles (excluding manufacturing of wax)
41.	Agarbati making units
42.	Blue potteries
43.	General wire industries like wire drawing, Barbed wire, Chain links making units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
44.	Gems and jewelry units (without furnace and metal finishing operations)
45.	Cold Storage
46.	Production of earthen pots, bricks (using fly ash), kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located within a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant
47.	Production of earthen pots, bricks, kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located beyond a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant

The industries mentioned hereinabove are deleted from the office order No. F-14(23)Policy/RPCB/Plg/10548-10587, dated 07.03.2013 and subsequent orders forthwith.

*dc* (K.C.A. Arun Prasad)  
Member Secretary

F.12 (PSC-1)/ RSPCB/ PSC/ 366 to 397

Dated: 31/05/2016

Copy to following for information and necessary action:

1. P.S. to Additional Chief Secretary (Environment & Forest), Department of Environment, Government of Rajasthan, Jaipur
2. P.S. to Chairperson, RSPCB, Jaipur
3. Secretary, Department of Environment, Government of Rajasthan, Jaipur
4. Sr. P.A. to Member Secretary, RSPCB, Jaipur
5. Chief Environmental Engineer / Chief Scientific Officer, RSPCB, Jaipur
6. Group Incharge, EC/ Hazardous/ MSW/ BMW/ HOP/ Textile/ CPM/ Planning/ IT, DF & Cess/ MUID/ Mines/ CD & SCMG/ Law/ CCC/ PSC & Projects, RSPCB, Jaipur
7. Regional Officer, RSPCB, Jaipur (South)/ Jaipur (North)/ Alwar/ Balotra/ Bhartpur/ Bhilwara/ Bikaner/ Jodhpur/ Pali/ Kota/ Chittorgarh/ Kishangarh/ Sikar/ Udaipur/ Bhiwadi.
8. ACP, RPCB, Jaipur, with the direction to upload the order on Board's website.
9. Master File (PSC-6), PSC, RPCB, Jaipur.

*dc* Member Secretary



**Tax Invoice**

(TRIPLICATE FOR SUPPLIER)

**I R Traders**  
 Ward No 6, Chand Bass,  
 Sujangarh, Dist. Churu  
 GSTIN/UIN: 08BEYPA2582Q1ZM  
 State Name : Rajasthan, Code : 08  
 E-Mail : i.r786@yahoo.com

Invoice No. e-Way Bill No Dated  
**38** **731268668083** **30-Jun-2022**  
 Delivery Note Mode/Terms of Payment  
 Supplier's Ref. Other Reference(s)  
**38**  
 Buyer's Order No. Dated  
 Despatch Document No. Delivery Note Date  
 Despatched through Destination  
**BY ROAD** **DELHI**  
 Bill of Lading/LR-RR No. Motor Vehicle No.  
**RJ14GF2668**  
 Terms of Delivery  
**FOB**

Buyer  
**NIRAJ JAIN (9810576817)**  
 BAWANA  
 State Name : Delhi, Code : 07  
 Place of Supply : Delhi

SI No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	<b>PLASTIC WASTE</b>	3915	18 %	10,085.000 kg	6.00	kg	<b>60,510.00</b>
	<i>IGST A/C Round Off</i>						<b>10,891.80</b>
							<b>0.20</b>
	Total			10,085.000 kg			<b>₹ 71,402.00</b>

Amount Chargeable (in words)

*E. & O.E*

**Indian Rupees Seventy One Thousand Four Hundred Two Only**

HSN/SAC	Taxable Value	Integrated Tax Rate	Amount	Total Tax Amount
3915	60,510.00	18%	10,891.80	10,891.80
Total	60,510.00		10,891.80	10,891.80

Tax Amount (in words) : **Indian Rupees Ten Thousand Eight Hundred Ninety One and Eighty paise Only**

Company's PAN : **BEYPA2582Q**

Company's Bank Details  
 Bank Name : **Hdfc Bank Ltd**  
 A/c No. : **50200007697053**  
 Branch & IFS Code : **Sujangarh & HDFC0002613**

Declaration  
 We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

for I R Traders

Authorised Signatory

SUBJECT TO SUJANGARH JURISDICTION

This is a Computer Generated Invoice

# Tax Invoice

(TRIPLICATE FOR SUPPLIER)

<b>I R Traders</b> Ward No 6, Chand Bass, Sujangarh, Dist. Churu GSTIN/UIN: 08BEYPA2582Q1ZM State Name : Rajasthan, Code : 08 E-Mail : i.r786@yahoo.com	Invoice No. <b>42</b> Delivery Note	e-Way Bill No. <b>781272365386</b> Supplier's Ref. <b>42</b> Buyer's Order No.	Dated <b>20-Jul-2022</b> Mode/Terms of Payment Other Reference(s) Dated Delivery Note Date Destination <b>DELHI</b> Motor Vehicle No. <b>RJ14GF2668</b> Terms of Delivery <b>FOB</b>
Buyer <b>NIRAJ JAIN</b> BAWANA, DELHI State Name : Delhi, Code : 07 Place of Supply : Delhi			

SI No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	<b>PLASTIC WASTE</b>	3915	18 %	9,980.000 kg	6.00	kg	<b>59,880.00</b>
	<i>Less :</i>		<i>IGST A/C Round Off</i>				<b>10,778.40 (-)0.40</b>
	<b>Total</b>			<b>9,980.000 kg</b>			<b>₹ 70,658.00</b>

Amount Chargeable (in words) E. & O.E  
**Indian Rupees Seventy Thousand Six Hundred Fifty Eight Only**

HSN/SAC	Taxable Value	Integrated Tax Rate	Integrated Tax Amount	Total Tax Amount
3915	59,880.00	18%	10,778.40	10,778.40
<b>Total</b>	<b>59,880.00</b>		<b>10,778.40</b>	<b>10,778.40</b>

Tax Amount (in words) : **Indian Rupees Ten Thousand Seven Hundred Seventy Eight and Forty paise Only**

Company's PAN : <b>BEYPA2582Q</b> Declaration We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.	Company's Bank Details Bank Name : <b>Hdfc Bank Ltd</b> A/c No. : <b>50200007697053</b> Branch & IFS Code : <b>Sujangarh &amp; HDFC0002613</b> for I R Traders Authorised Signatory
---	--

SUBJECT TO SUJANGARH JURISDICTION  
 This is a Computer Generated Invoice

## Tax Invoice

(TRIPLICATE FOR SUPPLIER)

**I R Traders**  
Ward No 6, Chand Bass,  
Sujangarh, Dist. Churu  
GSTIN/UIN: 08BEYPA2582Q1ZM  
State Name : Rajasthan, Code : 08  
E-Mail : i.r786@yahoo.com

Buyer  
**NIRAJ JAIN**  
BAWANA  
State Name : Delhi, Code : 07  
Place of Supply : Delhi

Invoice No.	e-Way Bill No.	Dated
<b>51</b>	<b>701280632575</b>	<b>29-Aug-2022</b>
Delivery Note	Mode/Terms of Payment	
Supplier's Ref.	Other Reference(s)	
<b>51</b>		
Buyer's Order No.	Dated	
Despatch Document No.	Delivery Note Date	
Despatched through	Destination	
<b>BY ROAD</b>	<b>DELHI</b>	
Bill of Lading/LR-RR No.	Motor Vehicle No.	
	<b>RJ14GF2668</b>	
Terms of Delivery		
<b>FOB</b>		

SI No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	<b>PLASTIC WASTE</b>	3915	18 %	9,960.000 kg	6.00	kg	<b>59,760.00</b>
	<b>IGST A/C Round Off</b>						<b>10,756.80</b>
							<b>0.20</b>
	Total			9,960.000 kg			<b>₹ 70,517.00</b>

Amount Chargeable (in words)

**Indian Rupees Seventy Thousand Five Hundred Seventeen Only**

E. &amp; O.E

HSN/SAC	Taxable Value	Integrated Tax		Total
		Rate	Amount	Tax Amount
3915	59,760.00	18%	10,756.80	10,756.80
<b>Total</b>	<b>59,760.00</b>		<b>10,756.80</b>	<b>10,756.80</b>

Tax Amount (in words) : **Indian Rupees Ten Thousand Seven Hundred Fifty Six and Eighty paise Only**Company's PAN : **BEYPA2582Q**

Declaration

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Company's Bank Details

Bank Name : **Hdfc Bank Ltd**  
A/c No. : **50200007697053**  
Branch & IFS Code : **Sujangarh & HDFC0002613**

for I R Traders

Authorised Signatory

SUBJECT TO SUJANGARH JURISDICTION

This is a Computer Generated Invoice

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ(चूरु)राजस्थान

क्रमांक: नपसु/सामान्य शाखा/2022/8688

दिनांक 27/11/22

श्रीमान रिजनल ऑफिसर  
राजस्थान पोल्यूसन कंट्रोल बोर्ड  
नागौर

विषय:— Rrquiriement of comments on the statas of tripal  
processing/godawns located in sujangarh

प्रसंग:— श्रीमानजी के पत्र क्रमांक: RPCB/RO/NGR/GEN/52/1512-1518 दिनांक  
21.10.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि चाही गई सूचना  
बिन्दुवार तैयार कर प्रेषित है:—

- 1 बिन्दु संख्या 01 के संबंध में निवेदन है उक्त स्थान पर 10-12 तिरपाल की  
गोदामें है एवं 20-25 तिरपाल की दुकाने है।
- 2 बिन्दु संख्या 02 के संबंध में निवेदन है कि किसी भी गोदाम की भूमि का  
भू-रूपान्तरण परिषद द्वारा नहीं किया गया है
- 3 बिन्दु संख्या 03 के संबंध में निवेदन है कि श्री राकेश कुमार की शिकायत पर  
तिरपाल गोदाम मालिकों को नोटिस जारी किये गये है, जिसकी सूची साथ संलग्न  
है।

सूचना प्रेषित है।

  
आयुक्त  
नगरपरिषद सुजानगढ

# कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़(चूरु) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/७१४

दिनांक:- 12/3/2022

## नोटिस

महीनुदीन तेली  
चांद बास रोड सुजानगढ़

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पडता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।



आयुक्त  
नगर परिषद सुजानगढ़



# कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़(चूरु) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/ 920

दिनांक:-12/5/2022

## नोटिस

अब्दुल रहमान चौहान  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ़

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये हैं कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त  
नगर परिषद सुजानगढ़

लेन से इन्फार्म 12  
अतिक्रमण

# कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़(चूरू) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/911

दिनांक:- 12/5/2022

## नोटिस


जाकीर अगवान  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ़

**विषय:-** प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

  
आयुक्त  
नगर परिषद सुजानगढ़

  
अजित

# कार्यालय नगर परिषद् सुजानगढ़(चूरु) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/914

दिनांक:- 12/5/2022

## नोटिस

सेठी उर्फ सलीम गौरी  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ़


**विषय:-** प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पडता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

  
आयुक्त

नगर परिषद् सुजानगढ़

  
अधिकारी

# कार्यालय नगर परिषद् सुजानगढ़(चूरू) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/919

दिनांक:- 12/5/2022

## नोटिस

हीरा खिंची  
खानपुर रोड सुजानगढ़

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मोहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

  
आयुक्त

नगर परिषद सुजानगढ़

# कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़(चूरू) राजस्थान

क्रमांक:- नपसु / अतिक्रमण शाखा / 2022 / 915

दिनांक:- 12/5/2022

## नोटिस

मुना खीची  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ़

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

6/5/

आयुक्त  
नगर परिषद सुजानगढ़

नगर परिषद सुजानगढ़  
अधिकारी

# कार्यालय नगर परिषद् सुजानगढ़(चुरू) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/912

दिनांक:- 12/5/2022

## नोटिस

महीनुदीन तेली पडिहार  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ़

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त

नगर परिषद् सुजानगढ़

# कार्यालय नगर परिषद् सुजानगढ(चुरू) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/917

दिनांक:-12/5/2022

## नोटिस

मो. सलाम खीची

जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एव प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बडा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पडता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।



आयुक्त

नगर परिषद् सुजानगढ

  
अ. न. खीची

# कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ(चूरु) राजस्थान

क्रमांक:-नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/ 916

दिनांक:- 12/5/2022

## नोटिस

सरीफ खीची  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ

विषय:- प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदामे बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त

नगर परिषद सुजानगढ

# कार्यालय नगर परिषद् सुजानगढ़(चूरू) राजस्थान

क्रमांक:--नपसु/अतिक्रमण शाखा/2022/9/3

दिनांक:--12/5/2022

## नोटिस

सलीम पडीहार  
जमालपुरा फाटक के पास सुजानगढ़

**विषय:--** प्राप्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से निर्माण तिरपालों की गोदाम बनाने एवं प्लास्टिक कचरे को जलाने के संबंध में।

उपरोक्त शिकायत के अनुसार सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में आप द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक अवैध निर्माण कर तीरपाल एवं प्लास्टिक तीरपाल एवं रसिया की गोदामे बना रखी है अत्यन्त ज्वलनशिल होने के कारण कभी भी आग जनी का बड़ा हादसा हो सकता है एवं शिकायत अनुसार आप द्वारा प्लास्टिक अपसिस्ट को जलाया जाता जिससे निकालने वाला धुआ आकाश का ढक लेते और इससे निकलने वाली जहरिली गैस से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं गोदामों के नजदीक रहने वाले मौहल्ले वासीयों को गभीर बिमारीयों का सामना करना पड़ता है अतः इस नोटिस के जरिये आपको पाबन्द किया जाता है अगर प्लास्टिक कचरा जलाते हुये पाया गया तो नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शिकायत कर्ता द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाके गोदाम बनाये हुये है कि शिकायत की है। अतः आप सभी अपने कृषि भूमि पर बने गोदामों का भू रूपान्तरण करवाये अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सूचित रहे।

आयुक्त  
नगर परिषद् सुजानगढ़

### बैठक कार्यवाही

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) प्रिंसिपल बेंच, भोपाल OA No. 554/2022 राकेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार के सन्दर्भ में सुजानगढ़ तिरपाल संघ के साथ दिनांक 10.11.2022 को तहसीलदार सुजानगढ़, क्षेत्रीय अधिकारी, नागौर, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, आयुक्त, नगरपरिषद सुजानगढ़ और श्री हेमन्त कुमार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गयी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. बैठक में सुजानगढ़ तिरपाल संघ द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो भी तिरपाल स्कैप गौदामों से निकलता है उसे एक जगह पर इकट्ठा करके दिल्ली गै0 श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स रिसाइकलर्स को भेजा जाता है। वर्तमान में किसी प्रकार का तिरपाल स्कैप बाहर नहीं फेंका जाता है।
2. सुजानगढ़ तिरपाल संघ द्वारा बताया गया कि पुराना स्कैप जो इधर-उधर बिखरा हुआ है उसको दिनांक 13.11.2022 तक इकट्ठा कर निकटतम सीमेण्ट प्लांट में कॉ-प्रॉसेसिंग के लिए भिजवा दिया जायेगा।
3. सुजानगढ़ तिरपाल संघ द्वारा आश्वस्त किया गया कि भविष्य में जो भी तिरपाल स्कैप दुकानों/गौदामों से निकलेगा उसके लिए एक डम्पिंग यार्ड विकसित किया जायेगा। जिसका अनुबंध पत्र आपके कार्यालय में दिनांक 14.11.2022 तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा। डम्पिंग यार्ड को टिनशेड से कवर कर संघ द्वारा एक अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि तिरपाल स्कैप को इकट्ठा कर उसके रिकॉर्ड को संधारित करेगा तथा प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अधिकृत प्लास्टिक रिसाइकलर्स भेजा जायेगा। भविष्य में इस तरह कि लापरवाही नहीं की जायेगी।
4. सुजानगढ़ तिरपाल संघ को उपरोक्त बैठक के निर्णय की पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत एनजीटी द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा पाबन्द किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

*Devita*  
RO, Nagaur  
RSPCB

*Hemant*  
10/11/22  
JEE, RSPCB  
RO Nagaur

*3/1*  
10.11.22  
Commissioner  
N. P. Swangath

*3/1*  
10/11/22  
Tehsildar  
Swangath. (Chun)

उपस्थिति पत्रक

क्र.सं	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	जोवेन्द राम बगडिया तहसीलदार सुगागर्ह.	9413512160	<u>JP</u>
2.	सविता, क्षेत्रिय अधिकारी	9983411222	<u>Savita</u>
3.	कमलेश कुमार मीना (भात्रुका) न.प. सुगागर्ह	861121459	<u>KS</u>
4.	Hemant Kumar, RSPCB RO Nagaur	9458381658	<u>Hemant</u>
5.			
6.	खलील खीची	9828708616	<u>Khaliil</u>
7.	मोहम्मद चौहान	9849270156	<u>Mohd</u>
8.	रहीम खीची	9610578388	<u>Rahim</u>
9.	असलम अगवान	9414111815	<u>Aslam</u>
10.	हरन अगवान	9828709632	<u>Harun</u>
11.	साबीर खीची	9783927561	<u>Saabir</u>
12.	हमीद जी देमा	7876859858	<u>Hameed</u>
13.	मोहम्मद अली अगवान	9509070786	<u>Mohd Ali</u>
14.	रोशन अली खीची	9982086786	<u>Roshan Ali</u>
15.	मुरल्लभार खीची	9828402793	<u>Murli</u>

उपस्थिति पत्रक

16.	गुड्डू चौदान	9983846027	गुड्डू
17.	फारक खीची	9414467886	Same
18.	गोहमद बाबू अगवान	9680159446	गोहमद
19.	अकीर अगवान = 1 n. 1.	8104121786	अकीर
20.	राशन अला खाचा	7014906627	
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	: IN-RJ74886335781853U
Certificate Issued Date	: 11-Nov-2022 04:44 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ rj3171604/ SUJANGARH/ RJ-CH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJ317160439446904161042U
Purchased by	: MOHAMMED ALU CHAUHAN VICE PRESIDENT
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: SUJANGRH
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SUJANGRAH TIRPAL ASSOCIATION
Second Party	: SAIF ALI DAIYA SO ABDUL HAMID DAIYA
Stamp Duty Paid By	: SUJANGRAH TIRPAL ASSOCIATION
Stamp Duty Payable (Rs.)	: 100 (One Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	: 10 (Ten only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	: 10 (Ten only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	: 10 (Ten only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 130 (One Hundred And Thirty only)



**ATTESTED**  
*H.P. Dadhich*  
**H. P. DADHICH**  
 NOTARY  
 SUJANGARH (CHURU)

*Safali*

*AAAs*

0001082217

**Statutory Alert:**

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.e-stamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



किराया नामा


मे मोहम्मद अली चौहान उपाध्यक्ष " सुजानगढ तिरपाल एशोशियेशन  
निवासी कस्बा सुजानगढ जिला चुरु प्रान्त का हूँ-

जो कि ग्राम सुजला तहसील लाडनु जिला नागीर राज की सीमा मे एक नोहरा मय  
चारदिवारी खेत खसरा नम्बर 98 तादादी कुल 14650 हैक्टेयर मे स्थित है उक्त भुमि सैफ  
अली दैया पुत्र अब्दुल हमीद जाति तेली निवासी चान्द बास सुजानगढ जिला चुरु राज के  
स्वामित्व की है। जिसके मे एक मात्र स्वामी है उक्त नोहरा आज तक हर प्रकार के भार आदि  
से मुक्त व सर्वथा सुरक्षित है। उपरोक्त वर्णित नोहरा मैने हमारी एशोशियन " सुजानगढ  
तिरपाल एशोशियेशन " के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किराये पर लिया है :-

- 1 यह कि उक्त नोहरा मैने 2,500/- रुपये अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह के  
हिसाब से 11 माह के लिए किराये पर लिया है। उक्त नोहरा मे बिजली व पानी का  
कनेक्शन नहीं है।
- 2 यह कि उक्त नोहरा दिनांक 11/11/2022 से किराये पर लिया है। आईन्दा नोहरा का  
किराया प्रत्येक माह की इसी तारीख को नोहरा मालिक स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति को  
अदा करता रहेगा।
- 3 यह कि किरायेदारी अवधि के भीतर नोहरे का किराया 2,500/- रुपये प्रतिमाह रहेगा  
तथा नोहरा मालिक द्वारा उक्त राशि मे 11 माह तक कोई बढोतरी नहीं कर सकेगा।
- 4 यह कि उक्त नोहरा मे नोहरा मालिक की सहमति के बिना कोई परिवर्तन अथवा तोड  
फोड नहीं करुंगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नोहरा मालिक की सहमति से  
किया जावेगा।
- 5 यह कि मै नोहरा में कोई असंवैधानिक या समाज विरोधी कार्य जैसे जुआ, सट्टा, शराब  
आदि का कार्य व शराब का सेवन नहीं करुंगा।
- 6 यह कि मै भूस्वामी के मालिकाना अधिकार तथा अपनी किरायेदारी की हैसियत से कभी  
ईन्कार नहीं करुंगा।
- 7 यह कि उक्त नोहरा तिरपाल एशोशियन के डम्पिंग यार्ड हेतु किराये पर लिया है जिसमें  
टैस्टिंग तिरपालो को डम्प (यानि कचरा इकठठा व निस्तारण ) हेतु किया जायेगा।

लगातार 02 पर

ATTESTED

  
H. P. DADHICH  
NOTARY  
SUJANGARH (CHURU)

Sairali



INDIA NON JUDICIAL  
GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
E STAMP IN RJ 74886335781853 U100 RS



02

- 8 यह कि अवधि किरायेदारी 11 मास की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष द्वारा किरायेदारी अवधि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर प्रथम पक्ष भूमि नोहरा को खाली कर द्वितीय पक्ष को सम्भला देगा।
- 9 यह कि अवधि किरायेदारी की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष द्वारा किरायेदारी अवधि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा नोहरा खाली कर द्वितीय पक्ष को नहीं सम्भलाने पर अथवा उपरोक्त शर्तों की खिलाफतर्जी पर द्वितीय पक्ष नोहरा को खाली करवा कर अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा व प्रथम पक्ष से खर्चा मुकदमा भी वसूल करने का अधिकार होगा। प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि कोई आपत्ति की जावेगी तो वोह मिथ्या व प्रभावशून्य होगी।
- 10 यह कि राजस्थान में लागू किरायादारी कानून का पालन करूंगा एवं भविष्य में जो लागू होने वाले नियम भी मुझे मान्य होंगे
- उक्त नोहरे के आसे पारसे निम्न प्रकार से है-

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
भूमि जीशान दैया	बाकी मांदा भूमि	भूमि सलीम पडीहार	आम रास्ता

अतः यह कि किरायानामा एक ई स्टाम्प कीमती 100/- रुपये व दो सादे पृष्ठ पर मकान मालिक के हित में टंकित करवा दिया कि प्रमाण रहे व इसे अच्छी तरह पढ़, सुन व समझकर बिना किसी नशे पते या जोर दबाव के अपने हस्ताक्षर कर दिये कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक 11/11/2022

Sairali  
हस्ताक्षर नोहरा मालिक

*[Signature]*

हस्ताक्षर किरायेदार  
आधार नम्बर 2867 8460 6710

IDENTIFIED BY  
SUJANGARH (CHURU)  
साक्षी

*[Signature]*  
11/11/22

ATTESTED  
*[Signature]*  
H. P. DADHICH  
NOTARY  
SUJANGARH (CHURU)